बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
अधिसूचना

संचिका संख्या–03/01/के0यो0अधिसूचना(NAKSHA)–64/2026– (8)/रा0, पटना–15, दिनांक–

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 (यथा संशोधित, 2025) की धारा–3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्थानीय शहरी निकायों (नगर निगम, नगर परिषद्, नगर पंचायत) की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्रों के 06 जिलों यथा सारण, बक्सर, नालंदा, मुंगेर, बांका एवं रोहतास के अनुबद्ध अनुसूची में वर्णित कुल 06 शहरी निकायों– सोनपुर नगर परिषद्, बक्सर नगर परिषद्, राजगीर नगर परिषद्, तारापुर नगर पंचायत, बांका नगर परिषद् एवं डेहरी डालमियानगर नगर परिषद् में सन्निहित सभी ग्रामों की बाह्य सीमाओं के भीतर अवस्थित केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की भूमि सहित समस्त भूमि का भू–सर्वेक्षण (अंतिम प्रकाशन स्तर तक) संचालित किये जाने और उससे संबंधित अधिकार अभिलेख तैयार करने हेतु अधिसूचना बिहार गजट असाधारण अंक 1293, दिनांक–22.10.2026 में प्रकाशित है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(मोना झा),
उप निदेशक।

ज्ञापांक–03/01/के0यो0अधिसूचना(NAKSHA)–64/2026– 897 (8)/रा0, पटना–15, दिनांक– 04/11/26

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय राज्यपाल, बिहार के अपर मुख्य सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव/विद्वान महाधिवक्ता, बिहार/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0/मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि विभागीय वेबसाईट पर गजट की प्रति आज ही अपलोड करेगें।

4/11/26
(मोना झा),
उप निदेशक।

निबंधन संख्या पी0टी0-40



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 आश्विन 1948 (श0)

(सं0 पटना 1293) पटना, वृहस्पतिवार, 22 अक्तूबर 2026

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

14 अक्तूबर 2026

सं0सं0–03/01/के0यो0–अधिसूचना(NAKSHA)–64/26–872(8)/रा0—बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 (यथा संशोधित, 2025) की धारा–3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा आदेश देते हैं कि स्थानीय शहरी निकायों (नगर निगम, नगर परिषद्, नगर पंचायत) की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्रों के 06 जिलों यथा सारण, बक्सर, नालंदा, मुंगेर, बांका एवं रोहतास के अनुबद्ध अनुसूची में वर्णित कुल 06 शहरी निकायों– सोनपुर नगर परिषद्, बक्सर नगर परिषद्, राजगीर नगर परिषद्, तारापुर नगर पंचायत, बांका नगर परिषद् एवं डेहरी डालमियानगर नगर परिषद् में सन्निहित सभी ग्रामों की बाह्य सीमाओं के भीतर अवस्थित केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की भूमि सहित समस्त भूमि का भू–सर्वेक्षण (अंतिम प्रकाशन स्तर तक) संचालित किया जाए और उसके संबंध में अधिकार अभिलेख तैयार किया जाए।

2. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 (यथा संशोधित, 2025) एवं नियमावली, 2012 (यथा संशोधित, 2026) के तहत तैयार अधिकार अभिलेख में अभिलिखित किए जाने वाली विवरणी में निम्नांकित समाविष्ट होंगे :–

(क) प्रत्येक रैयत अथवा अभिधारी का नाम, पिता/पति का नाम, पत्राचार का पता, एवं रैयत का आधार नं0 एवं मोबाईल नं0

(ख) भू–धारी का भूमि का विवरण, एकल स्वामित्व का विवरण (उन मामलों में जहाँ भूमि के ऊपर भवन निर्मित है) और बहुस्वामित्व भवन से संबंधित विवरण (उन मामलों में जहाँ भूमि पर बहुमंजिला भवन निर्मित है एवं एक से ज्यादा स्वामी हो)।

(ग) प्रत्येक अभिधारी का वर्ग अर्थात वह भूधृति धारक अथवा निश्चित लगान पर भूमि धारण करने वाला रैयत है, अधिभोगी अथवा गैर अधिभोगी रैयत या दर रैयत है तथा यदि वह भूधृति

धारक है तो स्थायी भूधृति धारक है या नहीं और उसकी भूधृति की अवधि में लगान बढ़ने योग्य है या नहीं,

(घ) प्रत्येक अभिधारी अथवा दखलकर्त्ता द्वारा धारित भूमि, भूमि पर अवस्थित भवन में धारित अंश की अवस्थिति एवं भूमि के अंश का क्षेत्रफल,

(ड.) अधिकार अभिलेख तैयार करते समय भुगतेय लगान

(च) लगान निर्धारण किस रीति से किया गया है – संविदा के द्वारा, न्यायिक आदेश के द्वारा यथा अन्यथा,

(छ) यदि लगान उत्तरोतर बढ रहा हो तो वह किस समय तथा किन चरणों में रहा है,

(ज) निम्नलिखित के संबंध में प्रत्येक अभिधारी और भू–स्वामी के अधिकार एवं दायित्व :–

(i) कृषि प्रयोजनों के लिए अभिधारियों द्वारा किसी नदी, झील, तालाब, या कुआँ या किसी अन्य आपूर्ति स्रोत से प्राप्त जल का उपयोग और

(ii) प्रत्येक अभिधारी द्वारा धारित भूमि पर खेती के लिए जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निमित्त साधित्र की मरम्मति और अनुरक्षण चाहे ऐसा साधित्र ऐसा भूमि की सीमाओं के भीतर अवस्थित हो या नहीं,

(झ) अभिधृति की कोई विशेष शर्त्त और अनुषंगी तथ्य, यदि कोई हो,

(ञ) जिस भूमि/भू–संपदा का अधिकार अभिलेख तैयार किया जा रहा है उससे सम्बद्ध आवागमन अथवा सुविधा संबंधी कोई अधिकार,

(ट) यदि भूमि/भू–संपदा के लगानमुक्त मुक्त रूप में धारित होने का दावा किया जाए तो वस्तुतः लगान चुकाया गया है या नहीं, और यदि नहीं चुकाया गया हो तो दखलकर्त्ता लगान के भुगतान के बिना भूमि/भू–संपदा धारण करने का हकदार है अथवा नहीं, यदि ऐसा है तो किस प्राधिकार के अधीन,

और

(ठ) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 (यथा संशोधित, 2025) के प्रावधानों के तहत संचालित सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त प्रचालनों के आधार पर घोषित प्रत्येक भू–स्वामी (Proprietor) की निजी भूमि की अवस्थिति, क्षेत्रफल, एक या अधिक चौहद्दियाँ, भू–धारी का भूमि का विवरण, एकल स्वामित्व का विवरण (उन मामलों में जहाँ भूमि के ऊपर भवन निर्मित है) और बहुस्वामित्व भवन से संबंधित विवरण (उन मामलों में जहाँ भूमि पर बहुमंजिला भवन निर्मित है एवं एक से ज्यादा स्वामी हो)।

3. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार–राज्यपाल–के–आदेश–से,
जय सिंह,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1293—571+10-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in